

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/समर्थन मूल्य/पार्ट/ 1789

भोपाल, दिनांक 26/04/2019

प्रति,

भारसाधक/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति म0प्र0 (समस्त)

विषय:-अधिसूचित कृषि उपजों की नीलामी के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/नियमन/रबी उपार्जन/पार्ट-4/1635-1636
दिनांक 3.4.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश से कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में खुले घोंघे विक्रय से समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार नीलामी को कुछ समय के लिये स्थगित कर पुनः आरम्भ किया जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 36 के परन्तुक में निम्नानुसार स्पष्ट प्रावधान है कि:-

36(3) परन्तुक मण्डी-प्रांगण में ऐसी कृषि-उपज की, जिसके लिये कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जायेगी, जो इस प्रकार घोषित की गई है और मण्डी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारम्भ नहीं होने दी जायेगी।

उपरोक्त स्पष्ट प्रावधान के होते हुए भी, कृषि उपज मंडियों में नीलामी में समर्थन मूल्य से कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं। इस संबंध में विडियों कान्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों में तथा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश के माध्यम से भी अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के द्वारा गुटबंदी कर कृषकों की कृषि उपज का मूल्य, कम लगाये जाने की स्थिति में भी कार्यवाही के निर्देश जारी हैं।


पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही प्रारम्भ की जाये। यदि व्यापारियों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य लगाया जाता है तो कुछ देर के लिए नीलामी स्थगित कर पुनः नीलामी प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाये।

(फैज अहमद किदवई)

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि:-

संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा की ओर आवश्यक
कार्यवाही हेतु।


प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल